आवश्यक / प्राथमिकता

संख्या–554/60–3–20–(सा0)/19

प्रेषक,

एस0 राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

निदेशक कैम्प
संख्या 495/61
दिनांक 10/09/2020

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 09 सितम्बर, 2020

विषयः– मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अर्न्तगत आवेदन करने की समय सीमा के शिथिलीकरण के सम्बन्ध में।

Dy CPO (Ashutosh) / Sri Satish
09.09.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0–1119/निदे0म0क0/सुमंगला/2020–21, दिनांक 05.08.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– अवगत है कि शासनादेश संख्या–436/60–3–19–6(सा)/2019, दिनांक 07.03.2019 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संचालन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश मार्गदर्शिका सहित जारी किये गये हैं। योजना के संचालन में आ रही कठिनाइयों के दृष्टिगत योजना के कियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या–2605/60–3–19–6–(सा)/19, दिनांक 30.12.2019 द्वारा सरलीकरण किया गया था। उक्त शासनादेश दिनांक 30.12.2019 के बिन्दु–3 में सरलीकरण करते हुए निम्न प्राविधान किये गये :–

"वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु श्रेणी–1 के अन्तर्गत आवेदन की निर्धारित समय सीमा 06 माह/श्रेणी–3 व 4 में निर्धारित 45 दिन/श्रेणी–5 व 6 के अन्तर्गत 30 सितम्बर या प्रवेश/पंजीकरण अन्तिम तिथि के 45 दिन के अन्दर (जो भी बाद में हो) की समय सीमा की शर्त को शिथिल किया जाता है, यद्यपि आगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 से योजना की मार्ग दर्शिका के प्राविधानों के अनुरूप ही प्रार्थना पत्र विहित समय सीमा में जमा करना अनिवार्य होगा।"

3– कोविड–19 वायरस के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत योजना के सभी 06 श्रेणियों हेतु आवेदन की समय सीमा का शिथिलीकरण कर सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष

......2

2020—21 में किसी भी समय आवेदन करने की अनुमति प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव दिनांक 05.08.2020 पर सम्यक विचारोपरान्त आवेदन हेतु समय सीमा का शिथिलीकरण कर सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2020—21 में किसी भी समय आवेदन करने की अनुमति प्रदान करने के निर्णय लिया गया। उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया कोविड—19 वाइरस के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत लिए गये निर्णय के अनुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(एस0 राधा चौहान)
अपर मुख्य सचिव।

सख्या—554 (1)/60—3—20, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/बाल विकास एवं पुष्टाहार/ग्राम्य विकास/नगर विकास/बेसिक शिक्षा/उच्च शिक्षा /प्राविधिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/कृषि शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/वित्त /कार्मिक एवं न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।

2— समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

3— समस्त मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला सूचना विज्ञान अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 ।

4— समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

5— समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

6— वेब मास्टर, महिला कल्याण निदेशालय को इस निर्देश के साथ कि कृपया उपरोक्तानुसार संशोधित योजना की मार्गदर्शिका आदि विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करें।

7— गाइड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 अशोक चन्द्र)
विशेष सचिव।